सत्र विचारण वाद संख्या 454/2012–244/2014

16.1.2014 अभियुक्तों की ओर से हाजरी दी गई। अपर लोक अभियोजक की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज अभियुक्त महेन्द्र यादव की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.10.13 अन्तर्गत धारा 227 द0 प्र0 स0 पर सुनवााई के पश्चात् आदेश हेतु निश्चित है, किन्तु आदेश लिखते समय आदेश फलक के अवलोकन से पता चलता है कि इनका वाद स0 वि0 वाद संख्या 302/13–82/14 में धारा 227 द0 प्र0 स0 का आवेदन दिया गया था, जिसपर कोई आदेश होने के पहले हीं पूर्व न्यायालय द्वारा सत्र वि0 वाद संख्या 454/12–83/14 में एक हीं थाना काण्ड से संबंधित होने के कारण मिला दिया गया है, जबकि अभिलेख सत्र वि0 वाद संख्या 302/13–82/14 में धारा 227 द0 प्र0 स0 के आवेदन दिनांक 23.10.13 पर सुनवाई हेतु लंबित था और अभिलेख सत्र वि0 वाद संख्या 454/12–83/14 पांच अभियुक्तो के विरूद्ध साक्ष्य में चल रहा है। अतः दोनों अभिलेखों को अभी अलग–2 करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इनको एक साथ मिलाने का आदेश सत्र वि0 वाद सं0 302/12–82/14 में आवेदन के निस्तारण एवं अभियक्त के विरूद्ध आरोप गठन के पश्चात् किया जाएगा। तद्नुसार इस वाद से अभियुक्त महेन्द्र यादव का वाद पृथक किया जाता है। अब यह वाद मात्र पांच अभियक्तों के लिए चलेगा।

अपर लोक अभियोजक साक्ष्य प्रस्तुत करें। दिनांक 2.2.2015 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित